



छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड

(छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम)

दूरभाष : 0771-2960539
सी.आई.एन.:U 14103 CT 2001 SGC 014691,
ई-मेल:cmdcraipur@gmail.com
वेबसाइट : www.cmdc.co.in

मुख्य कार्यालय :
सेक्टर-24, ब्लॉक नंबर 7-ए,
तृतीय तल, नवा रायपुर, अटल नगर
(छ.ग.) पिन नंबर 492015

क्रमांक- /४०९/ कोरण्डम./सी.एम.डी.सी./2023

नवा रायपुर, दिनांक : 31/08/2023

प्रति,

सर्व संबंधित

विषय :- छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि० को जिला व तहसील सुकमा अंतर्गत ग्राम नागारास के ख.न. 4से 7 तक कुल 4.58 हे० क्षेत्र पर खनिज कोरण्डम के स्वीकृत उत्खनिपट्टा को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, रायपुर (SEIAA) से नवीन पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने बाबत प्रस्ताव तथा भावपत्र (Quotation) विषयक।

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है, कि छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. (सी.एम.डी.सी.) को दक्षिण बस्तर जिला व तहसील सुकमा, अंतर्गत ग्राम नागारास के खसरा नम्बर 4 से 7 तक कुल 4.58 हे० क्षेत्र पर खनिज कोरण्डम के स्वीकृत उत्खनिपट्टा को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, रायपुर (SEIAA) से नवीन पर्यावरण स्वीकृति कराया जाना है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

- छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग, रायपुर द्वारा आदेश क्रमांक एफ3-36/2003/12, रायपुर दिनांक 25.01.2006 के तहत सी.एम.डी.सी. लि. को 30 वर्ष की अवधि के लिए खनिपट्टा स्वीकृत किया गया।
- उक्त स्वीकृत खनिपट्टे का अनुबंध निष्पादन दिनांक 20.06.2006 को किया गया।
- क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, जगदलपुर द्वारा खनिपट्टा में कोरण्डम खनिज के उत्खनन हेतु दिनांक 24.11.2006 को पर्यावरणीय स्वीकृति एवं बोर्ड की जल एवं वायु अधिनियम के अंतर्गत सम्मति प्रदान की गई।
- कोरण्डम खनिज पूर्व में शेड्यूल -1 खनिज के अंतर्गत आता था। परन्तु भारत सरकार, खान मंत्रालय के अधिसूचना दिनांक 10.02.2015 के उपरांत कोरण्डम गौण खनिज में सम्मिलित हो गया है।
- उक्त खनिपट्टा क्षेत्र के छ०ग०. गौण खनिज नियम 2015 के नियम 38 क (3) के तहत अवधि विस्तार के लिए मूल स्वीकृति दिनांक 20.06.2006 से 50 वर्ष के लिए

३५

दिनांक 21.03.2018 को छ0ग0 मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि0 एवं शासन के मध्य पूरक अनुबंध निष्पादन किया गया ।

- दिनांक 21.03.2018 सदस्य सचिव, जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (DEIAA) छ0ग0 सुकमा द्वारा छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि0 के खसरा नम्बर 4, 5, 6 एवं 7 रकबा 4.58 हे0 ग्राम नागारास तहसील व जिला सुकमा में गौण खनिज कोरण्डम क्षमता 8.79 टन/वर्ष को पर्यावरण स्वीकृति जारी की गई ।
- Hon'ble NGT के office memorandum dt. 12.12.2018 एवं MoEFCC (Impact Assessment Division) के office memorandum dt. 28.04.2023 के निर्देशानुसार Mining projects with lease areas of 0 to 5 ha. area to be evaluated by State Level Appraisal Committee (SEAC) for recommendation and grant of environmental clearance (EC) by State Level environment Impact Assessment Authority (SEIAA) instead of District Level Environment Impact Assessment Authority (DEIAA). (NGT के office memorandum dt. 12.12.2018 एवं MoEFCC (Impact Assessment Division) के office memorandum dt. 28.04.2023 संलग्न है।

उपरोक्त परिपेक्ष्य में एवं वं MoEFCC (Impact Assessment Division) के office memorandum dt. 28.04.2023 के निर्देशन के पालनार्थ दिनांक 15.01.2016 से 13.09.2018 के मध्य जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (DEIAA) से प्राप्त पर्यावरण स्वीकृति वाले स्वीकृत उत्खनिपट्टा को राज्य स्तरीय पर्यावरण निर्धारण प्राधिकरण रायपुर (SEIAA) से नवीन पर्यावरण स्वीकृति हेतु MoEFCC (Impact Assessment Division) के office memorandum dt. 28.04.2023 से एक वर्ष के भीतर प्राप्त किया जाना है।

छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. (सी.एम.डी.सी) को दक्षिण बस्तर जिला व तहसील सुकमा, अंतर्गत ग्राम नागारास के खसरा नम्बर 4 से 7 तक कुल 4.58 हे0 क्षेत्र पर खनिज कोरण्डम के स्वीकृत उत्खनिपट्टा को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, रायपुर (SEIAA) से नवीन पर्यावरण स्वीकृति को अनुबंध/कार्यादेश दिनांक से 06 माह की अवधि में पूर्ण किया जाना है।

अतः राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण रायपुर (SEIAA) से नवीन पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने बाबत समस्त आवश्यक कार्यवाहियों हेतु कृपया आपके द्वारा प्रस्तावित उचित दरों से भावपत्र (Quotation) के माध्यम से दिनांक 15.09.2023, अपरान्ह 03.00 बजे तक अथवा इसके पूर्व अवगत कराने का कष्ट करें। उपरोक्त कार्य के विरुद्ध प्रस्तुत देयकों का 100% भुगतान कार्य पूर्ण होने के उपरांत नियमानुसार किया जावेगा।

संलग्न :- भावपत्र (Quotation)।

Upendra Kumar

(उपेन्द्र कुमार)

उप महाप्रबंधक (खान)

(Company Letter Head)

Quotation

To,

**Managing Director
Chhattisgarh Mineral Development Corp. Ltd.
3rd floor, Block-A, Wing-7(A), Sector-24
Atal Nagar, Nava Raipur (C.G.)
492015**

Subject :- Quotation for the work of obtaining Environment Clearance of Corundum mines belonging to CMDC Ltd. over an area 4.58 hectare, located at Village- Nagaras Tehsil-Sukma, Distt.- Sukma (C.G.) from SEIAA

Reference No. -

S.No.	Work Description	Cost (Rs)	Total Amount Excluding Taxes (Rs.)
1	Quotation for entire work of obtaining Environment Clearance of Corundum mines belonging to CMDC Ltd. over an area 4.58 hectare, located at Village- Nagaras Tehsil-Sukma, Distt.- Sukma (C.G.) from SEIAA (The Quoted Cost must included of all the statutory cost such as fees etc. liasoning, survey, cost of maps and any other cost which is required for the completion of work)		
Cost in figure :			

Authorized Signatory